न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : **राहुल श्रीवास्तव** (आई0ए0एस0)

वाद सं0 : 279 सन 2011

अनवान :–

1. पतराम पुत्र रतीराम जाति मेधवाल (हरिजन) निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. मंगलाराम पुत्र रतीराम जाति मेधवाल (हरिजन) निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. हरिसिह उर्फ सीगाराम पुत्र रतीराम जाति मेधवाल (हरिजन) निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
4. सन्तो पुत्र रतीराम जाति मेधवाल (हरिजन) निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

वादीगण

बनाम

1. चन्द्रावती पत्नी ईश्वरचन्द जाति मेधवाल निवासी मलवानी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरार हक स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत 88 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित : श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता वादीगण
श्री हवासिह पूनिया अधिवक्ता प्रतिवादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 10/06/2026

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की वादीगण सं. । ता 3 के पिता वा वादियाँ सं. ५ के पति सवगीय रतिराम पितर मुत्वना रावता कौम मेघवाल ताकिन द्विलकी जाटान की वाके रोहों मौजा ढोलकी जाटान के बता नं. 149 की 75 बीघा भूमि उसकी खातेदारी वा कब्जा कारत की भूमि थी जिसको वह अपने जीवनकाल में काश्त करता रहा। उपरोक्त भूमि माख्दा क्षेत्र में आ जाने के कारण चकबन्दी व बिला–बन्दी में परिवर्तित हो गयी। उपरोक्त भूमी खसरा नं. 149 को 45 बोधा वाकै रोही मौजा ढोलकी जाटान हाल चक नं. १ जी. जी. एम. के पत्थर नं. 387/467 8138 के कि. नं. 25 की। किला व प. नं. 389/469 8248 के किला नं. 1 की 17 बिस्वा, 10, 11 की 2 बोधा, 20, 21 की 2 बीघा, प. नं. 388/468 258 कि.नं. की 17 बिस्वा 2 की 17 बित्वा, 3 की 17 बित्त्वा, 4 को 17 बिश्वा, 5 की 15 बिस्वा, 6 को 18 बिस्वा 7 ता 14 को 8 किला, । 15 की 18 विश्वा, 16 की 18 बिस्वा 17 ता 24 की 8 किला, 25 की 17 बिस्ट प.नं. 387/468 8268 कि.नं. 44 को 17 बित्वा, 5 की 15 बित्वा, 6 की 18 बिस्वा, 7 की। बीघा 14 की। बीघा, 15 को 18 बिस्वा 16 को 18 बिश्वा 17,18 को 2 बीघा, 23, 24 की 2 बीघा, 25 की 18 बिल्बा, प. नं. 67/16 की 12 बिश्वा खाला 69/15 की 6 बिश्वा रास्ता 69/15 की 18 बिश्वा, रास्ता, 70/8 की 10 बिश्वा रास्ता 45 किला नहरी भूमी में परिवर्तित हो चुकी है। वादीगण संख्या । ता 3 का पिता वा वादीया संख्या 4 का पति स्व. श्री रतीराम ग्राम ढोलकी जाटान का कौट वाल था। और वह अपने जीवनकाल में कोटवालो करता रहा और उसके फौत हो जाने के पश्चात् जब वादीगण ग्राम की कोटवाली वर ते है। इस कारण पुराने समय से ही उपरोक्त भूमि माफी वाढीगण संख्या । ता 4 के बुजगों को दी गई थी जिसको वह काश्त करते आ रहे तथा उपरोक्त भूमी को नौ तोड़ कर उपजाऊ बनाया वादीगग संख्या । ता 4 के बूर्जग रतोराम एक भोला गाला व्यक्ति था जिसको राजस्व रिकार्ड के बारे में ज्ञान नहीं था। ना ही यह

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

रिकार्ड सम्बन्धी ज्ञान रखता था इस कारण कोलोनाइजेशन विभाग द्वारा जारी खतरा प्रतिशोधन–पत्र वादी संख्या। ता 3 के पिता वा वादिया संख्या 4 के पति के नाम से जारी नही कर प्रतिवादी संख्या 1 के पति वा प्रतिवादी संख्या 2 के पिता के नाम से जारी कर दिया ईशर वल्द गोमद चमार मलवानी का निवासी था वह कभी भी ग्राम ढिलक जाटान में नही रहा ना ही कभी उसने विवादग्रस्त भूमि काश्त की थी बल्कि वह भूमिहीन था और उसने भूमि आंवटन करवाने के लिए एक दरख्वास्त प्रस्तुत की जिसके साथ हल्फनामा दिनांक 02–11–57 को पेश किया उस पर मिसल आंवटन संख्या 2590 दिनांक 07–02–58 और अपना बयान बिनाक 17–03–58 को तहसील राजस्व नोहर में दर्ज करवाया को मैं मावानी का निवासी होना बताया है और मनवानी के अलावा अन्य जमीन नहीं होना बयान किया है। नकल दरख्वास्त मथ हल्फनामा बयान 17–03–58 सलंग्न अर्जीदावा है। उपरोक्त भूमि को वादीगण संख्या । ता का पिता वा वादीया संख्या 4 का पति अपने जीवनकाल में काश्त करता रहा और दौराने सेटलमेन्ट सम्वत् 2029 ते 2038 जो मुताबिक कब्जा काश्त वा मौका के तैयार की गई वह तैयार करते समय उपरोक्त भूमि मुताबिक जमाबंदी तम्वत् 2001 के अनुसार रतीराम पुत्र रावताराम कौम मेघवाल ताकिन ढीलकी जाटान के नाम से दर्ज की गई और खतरा गिरदावरी सम्बत् 2031 ता 2033 जो कि राज्य सरकार के आदेशानुसार मुताबिक कब्जा कारत के वादीगण संख्या । ता 3 के पिता वा वादीया संख्या 4 के पति के नाम से दर्ज की गई है। नक्लात जमाबंदी वा खसरा गिरदावरी संगग्न वाद है। जिससे यह रोशन है। वादीगण का पिता वा पति स्व. रतिराम दिनाँक 11–06–95 को फौत हो गया है। अब उसके जायज वारिस वादीगण है। गगर प्रतिवादीगण उपरोक्त तथा कथित गल्त इन्दराज खसरा पूरिशोधन कोलोनाई जैवान विभाग के आधार पर हाल जमाबंदी तम्वत् 2029 ते 2038 को निष प्रभावी करार दिया कर विवादग्रस्त भूमि में वादी–गण के पिता पति स्व. श्री रतिराम के सथान पर खातेदार काश्तकार दर्ज करवाने की मंशा रखते हैं यदि प्रतिवादीगण अपने उपरोक्त मकसद में सफल हो गये तो वादीगण के हकुक पर बैजा असर पड़ेगा वा हक का हनन होगा इसलिये वादीगण अपने हक का इस्तक्रार करवा कर खसरा परिधोधन पत्र को दुरुस्त करवा कर प्रतिवादीगण के स्थान पर अपने आप को खातेदार थी काश्तकार दर्ज करवाने का मजाज है। यही बिनाय दावा है। प्रतिवादीगण तथा गल्त इन्दराज खसरा परिशोधन के आधार पर विवादग्रस्त भूमि मैं अपना नाम करवाकर कब्जा करने की मंशा रखते हैं। जबकि उपरोक्त भूमि वादीगण के बुजुगांन की बातेदारों भूमि है। और अब उसमें दो ट्यूबवैल लगा रखे हैं व वेत में ढाणी बनावर 50 वर्षों ते अधिक समय से निवास करते हैं। यदि प्रतिवादीगण अपने उपरोक्त मकसद में सफ्न हो गये तो वादीगण को अणीय क्षेति होगी इसलिये वादोगण प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा की डिग्री से पाबंद करवाने का मजाज है। वादीगण ने प्रतिवादी गण को सम्झाया कि वह विवादग्रस्त भूमि पर जब्रन कब्जा करने का इरादा त्याम देवे वा अपने खतरा पुरिशोधन को दुरुस्त कर वाले मगर प्रतिवादीगण आजकल आजवल करते रहे जन्त में दिनांक 05–04–97 को ब मुकाम मलवानी में साफ इन्कार हो गये वा जबरन कब्जा करने की धमकी दी वंश यही विनाय मुखास्मत है। वादीगंग ने वाद में निवेदन किया है कि वाद वादीगण डिक्री किया जा वर घोषणा की जावे कि वादग्रस्त कृषि भूमि वाकै रोही मोजा दौलको जाटान हाल चक नं. 9 जी. जी. एम. की 45 किला भूमि वादीगग के पिता रतिराम की नोतोड़ की हुई खातेदारी कृषि–भूमि है तथा घोषणा खतरा परिशोधन पत्र में संशोधन कर प्रतिवादीगण तं. । के पति व प्रतिवादीगण सं. 2 के पिता ईशरराम अर्थात हाल प्रतिवादी संख्या 1 का नाम क्लमजन किया जाकर इसके स्थान पर वादोगण को खातेदार काश्तकार हाल जमाबंदी में दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादी गण को स्थाई निषेधाज्ञा की डिग्री से पाबंद किया जावे कि वो है कब्जा वादोगण मैं किसी प्रकार की दखल रिकार्ड में रद्दोबदन करने से निषिध रहे। वाद के समर्थन मैं वादीगण ने नक्ल दालवाच सम्वत् 2011, नवल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2012 से 2015, नवल खतरा परिपत्र कोलोनाईजेशन, नक्ल खतरा गिरदावरी सम्वत् 2031 ते 2033, नकल खतरा गिरदावरी सम्वत् 2032 से 2033, नक्ल जमाबंदी सम्वत्

उपखण्ड अधिकारी

2029 से 2038, नकल हल्फनामा दिनांक 02–21–57 नकल किक बयान दिनांक 7–2–58, नकल बयान ईशर दिनांक 17–03–58, नकन बयान दिनांक 17–03–58, नक्ल मृत्यु प्रमाण पत्र रतिराम, फोटो खेती ढाणी वादी फोटो मुताबिक मौका आदि पेश किये हैं।

वाद वादीगण प्रस्तुत होने पर वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी गण को जरिये तम्मन तलब किया गया प्रतिवादी जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर आकर वादीगण के वाद में अंकित तथ्यो को अस्वीकार करते हुए जबाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया गया कि

रतिराम गाँव का कोटवाल कभी भी नहीं रहा बल्कि प्रतिवादी नं. का पति व 2 का पिता कोटवाली करता था और इसलिये बेगार में विवादित भूमि मिली थी वादोगण का पिता भोला भाला व्यक्ति नहीं था वादीगण का पिता विवादित भूमि को बाबत सन् 1965 से अदालत में कार्यवाही कर रहा था जो दो बार रेवेन्यु बोर्ड तक मुकदमा लड़ चुका और मुकदमें उसके खिलाफ हुए थे। वह बहुत चालाक व्यक्ति था। कोलोनाईजेवान विभाग द्वारा खसरा परिशोधन पत्र सही जारी किया गया है। इसर कोटवाली समाप्त होने के बाद मनवानी मैं आया था। रतिराम मे बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारीयो से मिलकर विवादित भूमि अपने नाम दर्ज करवाली थी जबकि भू प्रबंधक अधिकारियों को भूमि इस प्रकार दर्ज करने का अधिकार नहीं था इस गल्त प्रविष्टी से वादीगण को कोई अधिकार नहीं मिलते है क्योंकि उक्त भूमि का रेवेन्यु बोर्ड से निर्णय प्रतिवादीगण के पक्ष में हो चुका है वादीगण आजी मुतनाजा को अपनी घोषित करवाने के अधिकारी नहीं है विवादित भूमि का बार रेवेन्यु बोर्ड से पृति–वादीगण के पक्ष में निर्णय हो चुका है, दावा चल नहीं सकता है वादीगण स्थायी निषेधाज्ञा की डिग्री प्रसारित कराने के अधिकारी नहीं है। आराजी मुत्नाजा का रेवेन्यू बोर्ड से फैसला इसी भूमि का इन्हीं पक्षकारों के मध्य हो चुका है इसलिय रेस्ज्यूडिकेटा आरिज है और दावा चल नहीं सकता है। प्रतिवादीगण जरिये काउन्टर क्लेम आराजी मृत्नाजा वादीगण के पिता के नाम से क्लमजन करा अपने नाम दर्ज कराने के अधिकारी है प्रतिवादीगण ने अपने जबाबदावा मय काउन्टर क्लेम मैं निवेदन किया है के वाद वादीगण खारिज कर काउन्टर क्लेम डिग्री फरमाया जाकर आराजी प्रतिवादी के नाम दर्ज करने का आदेश दिया जावे।

प्रतिवादी (तत्समय) सुन्दर बेवा ईशर ने प्रार्थना पत्र 11 सीपीसी का पेश किया जिसका जबाब पेश होने पर उभयपक्षों को विधिवत सुनवाई का अवसर दिया जाकर दिनांक 21.05.1999 को प्रार्थना पत्र 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद खारिज किया गया था

उपखण्ड अधिकारी नोहर के निर्णय दिनांक 21.05.1999 के विरूद्व प्रथम अपील वादीगण के द्वारा माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के समक्ष पेश की गई जो वाद सुनवाई दिनांक 23.06.2000 को अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर उपखण्ड अधिकारी नोहर का निर्णय दिनांक 21.05.1999 को बहाल रखा गया राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 23.06.2000 की द्वितीय अपील राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर मे की गई जो बाद सुनवाई दिनांक 12.07.2000 को खारीज कर दी गई तत्पश्चात वादीगण ने रिट पिटीशन माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में रिट याचिका संख्या 1226/2000 पेश की गई जो स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालयो के निर्णयों को निरस्त करते हुए प्रकरण उभयपक्षों को सुनवाई उपरान्त पुनः निर्णय हेतु रिमाण्ड कर दी गई।

उक्त निर्णयों के उपरान्त प्रकरण वापस प्राप्त होने पर वादीगण के निवेदन पर पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर उभयपक्षों को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये उभयपक्षों की और से अधिवक्ता उपस्थित आये ।

प्रकरण मे पूर्व में वादीगण के वाद का प्रतिवादीगण ने जबाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया हुआ था का वादीगण ने जबाबुल जबाब पेश किया प्रतिवदीगण ब्यान करते है बवजह गलत ब्यानी स्वीकार नहीं है तथा रेवेन्यु बोर्ड के निर्णय को राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने अपास्त कर दिये है तथा इस अदालत को निर्देश दिये है कि

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सम्बत 2012 से पूर्व किसके नाम खातेदारी रही है तथा कब्जा काश्त में रही है। उसके अनुसार निर्णय पारित करे तथा उक्त भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सन् 1955 लागु होने समस्त वादीगण के बुजुर्गान कब्जा काश्त में रही है तथा अब वादीगण उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार है।

जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम की मद स० 6 जिस तरह से वादीगण ब्यान करते है बवजह गलत बयानी स्वीकार नही है तथा उक्त भूमि वादीगण खातेदार काश्तकार है तथा वादीगण का कोई हक व हिस्सा नहीं है तथा रेवेन्यु बोर्ड के निर्णयों को राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने अपास्त कर दिये है तथ उनका वादग्रस्त भूमि में कोई हक व हिस्सा नही है वादीगण जब घोषणात्मक डिकी नियमानुसार प्राप्त करने के अधि कारी है। तो फिर स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी है।

जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम की मद स० 11 अतिरिक्त कथन मुतनाज के नियमानुसार खातेदार काश्तकार है तथा दावा लाने के अधिकारी है जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम की मद स० 12 अतिरिक्त कथन स्वीकार नही है तथा उक्त प्रकरण रेसज्युडीकेटा आरिज नही है। तथा दावा इस अदालत के काबिल चलने के है तथा राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर सम्बत 2012 के आधार निर्णय करने हेतु उक्त पत्रावली वारिसा रिमाण्ड की है तथा प्रतिवादीगण का वादग्रस्त भूमि में कोई सरोकार नही है तथा वादीगण खातेदार काश्तकार हो चुके है। जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम की मद स० 13 बवजह गलत ब्यानी स्वीकार नही है तथा प्रतिवादीगण जरिये काउन्टर क्लेम किसी प्रकार घोषणा करवाने के अधिकारी नही है तथ काउन्टर क्लेम प्रतिवादीगण काबिल खारीज के

वादीगण का जबाबुल जबाब शामिल मिसल किया जाकर वादीगण के वाद प्रतिवादी के जबाब दावा मय काउन्टर क्लेम एव वादीगण के जबाबुल जबाब के आधार पर निम्नप्रकार से तनकी कायम की गई।

1. आया वादग्रस्त कृषि भूमि वाके रोही मौजा ढिलकी जाटान हाल चक 9 जी.जी. एम की 45 किला भूमि जिसका विवरण वाद पत्र की मद स० 2 में दर्ज है वादीगण के पिता रतीराम की नोतोड की हुई खातेदारी कृषि भूमि है तथा उक्त भूमि के वादीगण नम्बर 1 ता 4 ब.हि.ब. खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादीगण

2. आया जमाबन्दी दुरूस्त की जाकर प्रतिवादीगण का नाम कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर वादीगण को खातेदार काश्तकार दर्ज हाल जमाबन्दी में किया जावें।

वादीगण

3. आया प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी से पाबन्द फरमाया जावे कि वह कब्जा वादीगण में किसी प्रकार कोई दखल रिकार्ड में फेरबदल करने से निषिद्ध रहे।

वादीगण

4. आया कि वादीगण आराजी मुतनाजा के किसी श्रेणी का काश्तकार नहीं है इसलिए दावा चल नही सकता है इसका वाद पर क्या असर है।

प्रतिवादीगण

5. आया कि आराजी मुतनजा का रेवन्यु बोर्ड से फैसला इसी भूमि का इन्ही पक्षकारो के मध्य हो चुका है इसलिए रेसज्युडीकेटा आरिज है और दावा चल नही सकता है

प्रतिवादीगण

6. आया प्रतिवादीण्गा जरिये काउन्टर क्लेम आराजी मुतनाजा वादीगण के पिता के नाम से कलमजन करा अपने नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

प्रतितवादीगण

7. दादरसी

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादीगण एव प्रतिवादी के दावा व जबाब दावा के आधार पर तनकी कायम की जाकर उभयपक्षो के साक्ष्य लिये गये उभयपक्षो के द्वारा मौखिक साक्ष्यो में ब्यान में व दस्तावेज साक्ष्य पेश करने के उपरान्त उभयपक्षो की बहस सुनी गई।

वादीगण के अधिवक्ता ने मौखिक बहस के स्थान पर लिखित बहस पेश की गई जो निम्नप्रकार से है :–

1 .वादी द्वारा अनवान सदर का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 आर. टी. एक्ट का पेश कर कथन किया गया कि वादीगण सं. 1 ता 3 के पिता व वादीया सं. 4 के पति श्री रतिराम पि. मु. रावता कौम मेघवाल निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर की रोही मौजा ढिलकी जाटान तहसील नोहर के खा.न. 149 की 75 बीघा भूमि उसकी खातेदरी व कब्जा काश्त की थी जिसको वह अपने जीवन काल में काश्त करता रहा है ढाल बाच्छ सम्बत 2011 व खसरा गिरदावरी सम्बत 2012 से 2015 सलग्न है उपरोक्त भूमि भाखण्ड़ा क्षेत्र में आ जाने के कारण चकबन्दी व किलाबन्दी में परिवर्तित हो गई उपरोक्त भूमि खसरा सं. 149 की 45 बीघा वाके रोही मौजा ढिलकी जाटान तहसील नोहर हाल चक 9 जीजीएम तहसील नोहर के प.न. 387/467 मु.न. 13 के किला नं. 24 की 1 बीघा 25 की 16 बिस्वा प.न. 388/467 मु.. 14 के किला नं. 25 की 1 बीघा, प.न. 389/469 मु.न. 24 के किला नं. 1 की 17 बिस्वा, 10, 11, 20, 21 की4 बीघा प.न. 388/468 मु.न. 25 के किला नं. 1 की 17 बिस्वा 2 की 17 बिस्वा 3 की 17 बिस्वा 4 की 17 बिस्वा 5 की 15 बिस्वा 6 की 18 बिस्वा भूमि, 7 ता 14 की 8 किला, 15 की 18 बिस्वा, 16 की 18 बिस्वा, 17 ता 24 की 8 बीघा, 25 की 17 बिस्वा प.न. 387/468 मु.न. 26 के किला नं. 4 की 17 बिस्वा 5 की 15 बिस्वा, 6 की 18 बिस्वा, 7 व 14 की 2 बीघा, 15 की 18 बिस्वा भूमि 16 की 18 बिस्वा, 17, 18, 23, 24 की 4 बीघा, 25 की 18 बिस्वा भूमि प0न0 67/16 की 12 बिरवा गै.मु. 69/15 की 6 बिस्वा रास्ता 69/15 की 18 बिस्वा रास्ता, किला नं. 70/8 की 10 बिस्वा रास्ता कुल 45 किला नहरी भूमि में परिवर्तित हो चुकी है जो नकल खसरा परिशोधन पत्र कोलोनाईजेशन विभाग से स्पष्ट है।

2 यह कि वादीगण सं. 1 ता 3 का पिता व वादिया सं. 4 का पति स्वं श्री रतिराम ग्राम ढिलकी जाटान तहसील नोहर का कोटवाल था। और वह अपने जीवन काल में कोटवाली करता रहा और उसके फौत हो जाने के पश्चात अब वादीगण ग्राम की कोटवाली करते है इस कारण पुराने समय से ही उपरोक्त भूमि वादीगण सं. 1 ता 4 के बुर्जेगो को दी गई थी जिसको वह काश्त करते है तथा उपरोक्त भूमि को नौतोड़ कर उपजाउ बनाया वादीगण सं. 1 ता 4 के बुर्जग रतिराम एक भोला भाला व्यक्ति था जिसको राजस्व रिकार्ड के बारे में ज्ञान नहीं था का ही वह रिकार्ड सम्बधी कोई ज्ञान रखता था इस कारण कोलोनाईजेशन विभाग द्वारा जारी खसरा परिशोधन पत्र वादीगण सं. 1 ता 3 के पिता व वादीया सं. 4 के पति के नाम से जारी नही कर प्रतिवादी सं. 1 के पति व प्रतिवादी सं. 2 के पिता के नाम से जारी कर दिया।

यह कि ईशर पुत्र गोमद चमार मलवानी का निवासी था वह कभी भी ग्राम ढिलकी जाटान में नही रहा ना ही कभी उसने विवादग्रस्त भूमि काश्त की भी बल्कि वह भूमिहीन नही था और उसने भमि आंवटन करवाने के लिए एक दरख्वास्त प्रस्तुत की जिसके साथ हल्फनामा दिनांक 02/11/1957 को पेश किया उस पर मिसल आवंटन संख्या 2590 दिनांक 07/2/1958 और अपना ब्यान दिनांक 17/03/1958 को तहसील राजस्व नोहर में दर्ज करवाया कि मैं मलवानी का निवासी होना बताया और मलवानी के अलावा अन्य जमीन नही होना बताया नकल दरख्वास्त मय हल्फनामा ब्यान दिनांक 17/03/1958 से उक्त स्पष्ट है

उपरोक्त भूमि को वादीगण संख्या 1 ता 3 का पिता व वादिया संख्या 4 का पति अपने जीवनकाल में काश्त करता रहा है और दौराने सेटलमेन्ट बाबत सन् 2029 ता 2038 जो मुताबिक कब्जा काश्त में मौका तैयार की गई वह तैयार करते समय उपरोक्त जमाबन्दी सम्ब्त 2001 के अनुसार रतिराम पुत्र रावताराम कौम मेघवाल साकिन ढिलकी जाटान के नाम दर्ज की गई और खसरा गिरदावरी सम्बत 2031 से 2033 जो कि राज्य

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सरकार ने आदेशानुसार मुताबिक कब्जा काश्त के वादीगण सं. 1 ता 3 के पिता एवं वादीया सं. 4 के पति के नाम दर्ज की गई है जो जमाबन्दी व खसरा गिरदावरी से रोशन है।

5. यह कि वादीगण का पिता व पति स्व. रतिराम दिनांक 11/6/1995 को फौत हो गया है अब उसके जायज वारिसान वादीगण है मगर प्रतिवादीगण उपरोकत तथाकथित गलत इन्द्राज खसरा परिशोधन कोलोनाईजेशन विभाग के आधार पर हाल जमाबन्दी सम्बत 2029 से 2038 को निष्प्रभावी करार दिया। कर विवादग्रस्त भूमि में वादीगण के पिता के पति स्वं. रतिराम के स्थान पर अपने आपको उपरोक्त भूमि के खातेदार काश्तकार दर्ज करवाने की मंन्शा रखते है यदि प्रतिवादीगण अपने उपरोक्त मकसद में सफल हो गये तो वादीगण के हक हकुक पर बैजा असर पड़ेगा इसलिए वारिसान अपने हक का इश्तकरार करवा खसरा परिशोधन पक्ष को दुरूस्त करवा कर प्रतिवादीगण के स्थान पर आपने आप को खातेदार दर्ज करवाने का मजाज है आदि–आदि प्रस्तुत किया।

प्रतिवादीगण ने जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत किया गया तथा कथन किया गया कि रतीराम गांव का कोटवाल कभी नहीं रहा है बल्कि प्रतिवादी का पति व प्रतिवादी सं. 2 का पिता कोटवाली करता था इसलिए बेगार में मिली भी कोलोनाईजेशन विभाग द्वारा खसरा परिशोधन पत्र सही जारी किया है। तथा वादीगण किस श्रेणी के काश्तकार नही है तथा जरिये काउन्टर क्लेम आराजी मुतनाजा वादीगण के पिता के नाम से कलमजन करवाकर काउन्टर क्लेम प्रतिवादीगण स्वीकार कराने के अधिकारी है आदि आदि पेश हुवा जिस पर तनकीयात कायम हुई।

प्रतिवादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब दावा में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया की

रतिराम पि0मु0 रावता ने कभी वाद भूमि को काश्त नही किया गया है ना ही ढालबाछ व गिरदावरी सम्वत 2012 मे नाम गलत दर्ज किया गया है रतिराम ढिलकी जाटन का कभी कोटवाल नही रहा है ना ही उसके वारिसान कभी कोटवाल रहे जब रतिराम फोत हुआ उसके वाद कोटवाली प्रथा ही नही थी तो उसके वारिसान के कोटवाल होने का प्रश्न ही नही है लिखित बहस के बिन्दु संख्या 3 में अंकित तथ्यो को कोई औचित्य नही है क्योकि मद में दर्ज तथ्यों के आधार पर ही न्यायालय हाजा के द्वारा दिनांक 08.07.1968 को निर्णय परित किया जाकर विवादित भूमि ईशर पुत्र गोविन्द को खातेदार काश्तकार घोषित किया गया था वह निर्णय आज भी बहाल है ईशर के वारिसान वाद भूमि को बतोर खातेदार काश्तकार दर्ज करवाने के अधिकारी है।

वाद भूमि कभी भी रतिराम या उसके वारिसान के कब्जा काश्त में नही रही है जमाबन्दी व गिरदावारीयो के सम्बध में पूर्व में निर्णय पारित किया जा चुका है पुन विवेचन नही किया जा सकता है वादीगण ने अपनी लिखित में मनगढत /आधारहीन तथ्य अंकित किये गये है जो स्वीकार योग्य नही है रतिराम का देहान्त होना स्वीकार है अन्य कथन स्वीकार योग्य नही है ना ही कोई औचित्य है

वाद भूमि के सम्बध में पूर्व में निर्णय पारित किया जा चुका है जो आज भी बहाल है तथा पूर्व निर्णय दिनांक 08.07.1968 को राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर तक बहाल रखा गया था जो आज भी प्रभाव है जिसके विरूद्व कोई अपील नही की गई है ईशर के वारिसान आज भी उक्त निर्णय के अनुसार बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवाने के अधिकारी है प्रकरण में रेस्ज्यूडिकेटा आरिज है वाद वादी खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी तनकीवार विवेचन निम्नप्रकार से है।

1. **तनकी न0 1 :– आया वादग्रस्त भूमि रोही मौजा बिलकी जाटान हाल चक 9 जीजीएम, तहसील नोहर की 45 बीघा जिसका विवरण वाद पत्र की मद सं. 2 में दर्ज है वादीगण के पिता की रतिराम की नोतोड़ की हुई खातेदारी भूमि है तथा उक्त भूमि के वादीगण नम्बर सं. 1 ता 4 ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार दर्ज करवापाने के अधिकारी है।**

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

तनकी 1 को साबित करने हेतु भार वादीगण पर था जिस पर वादीगण ने कथन किया की वादीगण सं. 1 ता 3 के पिता रतिराम ग्राम ढिलकी जाटान का कोटवाल था अपने जीवनकाल में वह कोटवाली करता रहा उसकी मृत्यू के पश्चात वादीगण ग्राम की कोटवाली करते रहे है तथा पुराने समय से ही उपरोक्त भूमि वादीगण के पूर्वजो की ही थी जिसको उन्होने नोतोड़ कर्दा करके काश्त योग्य बनाया था तथा रतिराम एक भोला–भाला इन्सान था जिसे राजस्व अभिलेख की जानकारी नही थी इस उपनिवेशन विभाग के द्वारा खसरा परिशोधन पत्र मात्र वादीगण के नही करके प्रतिवादीगण सं. 2 के पिता व प्रतिवादी सं. 1 के पति के नाम जारी कर दिया जबकि वह मलवानी में रहता था और उसके द्वारा आराजी को काश्त नही किया गया था उसके द्वारा भूमि आवंटन हेतु दरख्वास्त पेश की जिसके साथ सलग्न हल्फनामा पेश की जिसके साथ सलग्न हल्फनामा दिनांक 2/11/1957 पेश किया किया जिस पर आवेंटन मिसल नं. 2590 दिनांक 07/02/1958 तथा उसके द्वारा स्वंय के ब्यान दिनांक 17/03/1958 तहसीलदार नोहर के दर्ज कराया जिसमें उसने अपने आपको मलवानी का निवासी बताया तथा अन्य कही जमीन न होना ब्यान किया तथा बाद में यह भी उल्लेखित किया कि दौराने बन्दोबस्त सम्बत 2029 सये 2038 के मुताबिक कब्जा काश्त व मौका के जमाबन्दी रतिराम पुत्र रावताराम के नाम जारी की गई है।

खसरा गिरदावरी सम्बत 2031 से 2033 में वादीगण के पिता रतिराम पुत्र रावताराम के नाम से ही जारी है जमाबन्दी सम्बत 2001 के अनुसार रतिराम पुत्र रावताराम मेघवाल साकिन ढिलकी जाटान के नाम दर्ज है जिससे रोशनहै कि वाद भूमि का खातेदार रतिराम पुत्र रावताराम ही है।

दस्तावेजी साक्ष्य के बतौर जमाबन्दी सम्बत 2010 EX P&1 नकल खसरा गिरदावरी सम्बत 2012 से 2016 EXP&2 जिसमें वादग्रस्त भूमि काश्तकारी अधिनियम सन् 1955 लागू होने समय श्रतिराम वल्द रावताराम वाद भूमि में काबिज होना साबित है नकल पर्चा खतौनी चक 6 जीजीएम तहसील नोहर EX P&3 नकल आवंटन पत्रावली ईशर पुत्र गोमद राम पेज 6 EX P–4 मृत्यु प्रमाण पत्र फोटो प्रति रतिराम नकल मिसल बन्दोबस्त सम्बत 2029 ता 2038 चक 9 जीजीएम तहसील नोहर दो पनो में EXP&5 व खसरा गिरदावरी सम्बत 2031 से 2034 17 परतो में EX P–6 दस्तावेज पेश किया जिससे वादीगण का वाद बखुबी साबित होता है।

प्रतिवादी का कथन है कि रतिराम ढिलकी जाटान का कभ कोटवाल नही रहा है क्योकि जिस समय रतिराम फोट हुआ उस समय कोटवाली प्रथा नही थी जिन दस्तावेजात एवं हल्फनामा का वर्णन किया है जो तथ्य पूर्व निर्णय में निर्णित हो चुके है पुनः उन दस्तावेजात पर निर्णय नही किया जा सकता है प्रर्दश 1 से प्रर्दश 6 तक जिन दस्तावेजो को दर्ज किया गया है उन पर पूर्व में दिनांक 08.07.1968 को निर्णय पारित किया जा चुका है जो राजस्व मण्डल अजमेर तक बहाल है पुनः नया वाद पेश किया गया है जो चलने योग्य नही है तनकी न0 1 को वादीगण ने साबित करने में नाकाम रहे है।

हमने उभयपक्षो के तर्को को सुना पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में इसी न्यायलय के द्वारा पूर्व में दिनांक 08.07.1968 को निर्णय पारित किया जाकर ईशर वल्द गोमद को कोटवाल माना जाकर वाद भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया गया था तथा वादीगण ने ऐसा कोई भी साक्ष्य पेश नही किया गया जिससे रतिराम या उसके वारिसान को वाद भूमि का कोटवाल नियुक्त किया गया हो जबकी ईशर के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात प्रर्दश– 12 में स्पष्ट तौर से कोटवाल नियुक्त होने का अंकन है तथा आगे बदस्तुर अंकन रहेगा का भी अंकन है।

Lalu
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

राजस्व रिकार्ड में रतिराम का नाम केवल काश्त के तौर पर एक गिरदावरी में रहा था जिस पर ईशर के द्वारा अपनी कोटवाल में मिली भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का वाद पेश किया जो स्वीकार किया गया था वादीगण के द्वारा पूर्व निर्णय दिनांक 08.07.1968 के विरूद्व विभिन्न न्यायालय में अपील पेश करने एव स्थगन होने के कारण राजस्व रिकार्ड में ईशर का नाम का अंकन नही हो सका वादीगण के द्वारा प्रस्तुत किये गये सभी दस्तावेजात इसी दौरान के पेश किये गये है 1968 से पूर्व या बाद का कोई भी दस्तावेज पेश नही किया जिससे रतिराम कोटवाल साबित होता हो।

वादीगण के द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात आधारहीन है जिनके आधार पर वादीगण कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी है नही वादीगण जिन दस्तावेजात का हवाला देकर खातेदार काश्तकार घोषित करवाना चाहते है प्रर्याप्त नही है केवल सहवन से काश्त दर्ज होने के आधार पर किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी नही है

वाद भूमि के सम्बध में पूर्व में एक राजस्व वाद विचाराधीन रहा था जो वाद सुनवाई दिनांक 08.07.1968 को निर्णय किया गया था जिसकी अपील वादीगण के द्वारा राजस्व अपील अधिकारी एव राजस्व मण्डल राजस्थान में भी की गई थी जो खारिज की जा चुकी है उसके पश्चात आगे कोई कार्यवाही नही की जाकर पुनः यह नया वाद पेश कर दिया गया जो विधि सम्मत नही है वादीगण पूर्व निर्णय दिनांक 08.07.1968 से पाबन्द है जब तक वह प्रभाव में रहेगा वादीगण किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही है

अतः तनकी न0 1 वादीगण के द्वारा साबित नही करने के कारण तनकी न0 1 वादीगण के विरूद्व तय की जाती है।

2. तनकी सं. 2 आया जमाबन्दी दुरूस्त की जाकर प्रतिवादीगण का नाम कलजन किया जाकर उसके स्थान पर वादीगण को खातेदार काश्तकार हाल जमाबन्दी में किया जावें

वादीगण

तनकी न. 2 को साबित करने का भार वादीगण पर था वादीगण ने तनकी न0 2 को साबित करने हेतु वादीगण ने जमाबन्दी सम्बत 2001 व खसरा गिरदावरी सम्बत 2031 से 2033 जो मौके पर जाकर वास्तविक तौर से तैयार की गई जिसके अनुसार वादीगण का कब्जा काश्त दर्ज है व साक्ष्य PW&1 पतराम के अनुसार कब्जा काश्त व जमाबन्दी के अनुसार वादी भूमि वादीगण की होना साबित है तथा प्रतिवादी सं. 1 के पति व 2 के पिता के दिनांक 17/3/1958 के तहसीलदार के समक्ष जो ब्यान दिये उसमें ईशर ने स्वंय को मलवानी गांव को निवासी बताया है ढिलकी जाटान का कोटवाल होना साबित नहीं है इस अनुसार तनकी सं. 2 प्रतिवादीगण के विरूद्ध साबित होती है तथा वादीगण के पक्ष में साबित होती है तथा EX P–2 खसरा गिरदावी सम्बत 2012 से 2015 जिस वक्त काश्तकारी अधिनियम प्रवर्तन में आया उस समय रतिराम पुत्र रावताराम वाद भूमि पर काबिज था प्रतिवादीगण का कोई कब्जा नही था। इसके अतिरिक्त प्रतिवादीगण द्वारा स्वंय के अलावा कोटवाली करने का तथ्य साबित करने हेतु कोई स्वतंत्र गवाह पेश नही किया

प्रतिवादी ने तनकी न0 2 के सम्बध में निवेदन किया की विवादित भूमि कभी भी रतिरमा के कब्जा काश्त में नही रही ना ही रतिराम कभी कोटवाल रहा है वाद भूमि हमेशा से ईशर वल्द गोमद के कब्जा काश्त में रही है तथा ईशर जो कोटवाली का काम करता था को कोटवाली माफी में दी गई भूमि है जिसमें वादीगण किसी प्रकार की घोषणा करवाने के अधिकारी नही है।

हमने उभयपक्षों के तनकी न. 2 के सम्बध में तर्क सुने गये तनकी न. 2 तनकी न0 1 पर आधारित है रतिराम के द्वारा अपने काश्त के जो साक्ष्य पेश किये गये है वह खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के लिये प्रर्याप्त नही है रतिराम ने ऐसा कोई साक्ष्य पेश

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

नही किया गया जिससे रतिराम कोटवाल साबित होता हो और से कोटवाली माफी में भूमि दी गई हो जबकि ईशर को वाद भूमि कोटवाली माफी में दिया जाना पूर्णत्या साबित है

वाद भूमि के सम्बध में न्यायालय हाजा के द्वारा दिनांक 08.07.1968 को निर्णय पारित किया गया था जो रतिराम के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यो के आधार पर ही किया जाकर प्रतिवादी को वाद भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया था रतिराम एवं उसके वारिसान पूर्व निर्णय दिनांक 08.07.1968 से पूर्णत्या पाबन्द है पूर्व निर्णय प्रभावी रहते वादीगण किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही है ना ही प्रतिवादी का नाम कलमजन करवाने के अधिकारी है

अत : तनकी न0 2 वादीगण के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यो के आधार पर साबित नही होने के कारण वादीगण के विरूद्व एवं प्रतिवादी के पक्ष में तय की जाती है।

3. **तनकी न0 3 आया प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह कब्जा वादीगण में किसी प्रकार का कोई दखल रिकार्ड में फेरबदल करने से निषिद्व रहे।**

वादीगण

तनकी न. 3 को साबित करने का भार वादीगण पर था

तनकी न. 3 तनकी न0 1 ,2 पर आधारित है तनकी न. 1 ,2 वादीगण के विरूद्व तय की जा चुकी है ना ही वादीगण का वाद भूमि पर कब्जा साबित हुआ है वादीगण बिना किसी आधार के प्रतिवादीगण को पाबन्द करवाने के अधिकारी नही है अतः तनकी न. 3 वादीगण के विरूद्व तय की जाती है

4. **तनकी न. 4 आया वादीगण आराजी मुतनाजा के किसी श्रेणी के काश्तकारी नही है इसलिये दावा चल नही सकता है इसका वाद पर क्या असर है।**

तनकी न 4 के सम्बध में वादीगण का कथन है कि प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त आराजी का ईशर को कोटवाल माफी में दी गई बताया है तथा ढिलकी जाटान के ख.न. 149 की 145 बीघा भूमि का उपनिवेशन विभाग द्वारा खसरा परिशोधन पत्र जारी हुवा है जबकि वादीगण की साक्ष्य से जमाबन्दी सम्बत 2001 से भूमि रतिराम के नाम दर्ज है खसरा परिशोधन पत्र पश्चावर्ती है इसके अतिरिक्त नकल पर्चा खतौनी चक 9 जीजीएम म च–11 नकल जमाबन्दी सम्बत फार्म हक मौससी ढिलकी जाटान म च–12 नकल जमाबन्दी सम्बत 1944 म च–13 गिरदावरी सन् 1964 व 65 म च–14 नकल सैल रजि. चक 9 जीजीएम म च–15 पेश किये। जबकि EX P–14 सम्बत 1964 व 1965 की गिरदावरी से पूर्व की गिरदावरी एक भी प्रतिवादीगण की पेश नही है सैटलमेन्ट के वक्त की गिरदावरी पेश की है जिससे सम्बत 2012 से 2015 में प्रतिवादीगण का कब्जा साबित नही है।। प्रतिवादी कॅ–1 स्वंय जिरह में कहती है कि मेरे 30–35 सालो कि बात याद आती है उसने कहा कि यह हमारी दो जगह जमीन थी मेरे पिता द्वारा मिसल आवंटन संख्या 2590 मे दिनांक 17/3/1958 को जो हल्फनामा दिया उसमें मलवानी गांव क्यों लिखा है मुझे पता नही है रावता के पिता का क्या नाम है मुझे पता नही है खातेदारी का वाद एस.डी.ओ. कोर्ट नोहर में किसने किया मुझे पता नहीं है कोटवाली के कागज साथ लेकर नहीं आई जोधपुर से यह प्रकरण रिमाण्ड होकर आया है तथा 2012 से 2015 की गिरदावरी में वाद भूमि क्यों दर्ज है मुझे पता नहीं है समस्त साक्ष्य से वाद भूमि प्रतिवादीगण की होना साबित नहीं है इसलिए तनकी सं. 4 प्रतिवादीगण के विरूद्ध व वादीगण के पक्ष में होना साबित है।

प्रतिवादी ने तनकी न. 4 के सम्बध मे निवेदन किया की वादीगण ने तनकी न. 4 के सम्बध में जो भी कथन किये है उनका विवेचन पूर्व निर्णय दिनांक 08.07.1968 को किया जा चुका है पूनः उन्ही तथ्यो पर विवेचन नही किया जा सकता है पूर्व निर्णय को वादीगण के द्वारा स्वीकार किया गया है तथा आज तक प्रभावी है जिसके आधार पर ईशर व उसके वारिसान बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवाने के अधिकारी है

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हमने उभयपक्षो की तनकी न0. 4 पर तर्क सुना वादीगण ने केवल अपने तर्क में पूर्व निर्णय से पूर्व के दस्तावेजात को दोहरातें हुए खातेदारी अधिकार चाहे जा रहे है जो विधिसम्मत नही है पूर्व में इस न्यायालय के द्वारा दिनांक 08.07.1968 को निर्णय पारित किया जाकर वादीगण के तर्क में अंकित किये गये दस्तावेजात का विवेचन उपरान्त ही प्रतिवादी के पूर्वज ईशर या उसके वारिसान को बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जा चुका है वादीगण उक्त निर्णय के प्रभावी रहते पुनः उन्हे दस्तावेजात के आधार पर कोई भी अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है प्रतिवादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार ईशर वाद भूमि का कोटवाल होना एव कोटवाली माफी में भूमि दी जानी बखूवी साबित होता है जिसके आधार पर ही पूर्व में ही प्रतिवादी को खातेदारी अधिकार दिये जा चुके है उसी के अनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने के अधिकारी है

अतः तनकी न 4 पूर्व निर्णय एव दस्तावेजात के आधार पर प्रतिवादी के पक्ष में एवं वादीगण के विरूद्व तय की जाती है।

5. तनकी सं. 5 आया कि आराजी मुतनाजा का रेवन्यु के फैसला इसी भूमि का इन्ही पक्षकारो के मध्य हो चुका है इसलिए से रेसज्यूडीकेटा आरिज है। दावा नही चल सकता है।

वादीगण ने तनकी न 5 के सम्बध में तर्क किया की न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 21/05/1999 के द्वारा रेसज्यूडिकेटा के सिद्धान्त मानकर वादीगण का दावा खारीज कर दिया वादीगण ने आर.ए.ए. कोर्ट में निर्णय दिनांक 21/5/1999 के विरूद्ध अपील पेश की जो दिनांक 23/06/2000 को खारीज कर दी द्वितीय अपील रेवन्यु बोर्ड अजमेर में निर्णय दिनांक 23/06/2000 के खिलाफ की जिसे दिनांक 12/9/2000 को खारीज कर दी फिर वादीगण ने एस.डीओ. कोर्ट के निर्णय दिनांक 21/05/1999 आर.ए.ए. के निर्णय दिनांक 23/6/2000 व रेवन्यु बोर्ड के निर्णय दिनांक 12/9/2000 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में रिट पेश की जो दिनांक 08/12/2009 को स्वीकार कर भी गई व एस.डी.ओ का निर्णय दिनांक 21/5/1999 आर.ए.ए. का निर्णय दिनांक 23/06/2000 व रेवन्यू बोर्ड का निर्णय दिनांक 12/9/2000 अजमेर के रद्द कर दिये पत्रावली इस अदालत को रिमाण्ड की गई तथा जोधपुर से रिमाण्ड होने पर दिनांक 23/05/2017 को पत्रावली पुनः सुनवाई हेतु रखी गई है। इसलिए प्रतिवादीगण के कथन मिथ्या है वाद भूमि का प्रकरण रेसज्यूडिकेटा आरिज नही है तनकी सं. 6 का निर्णय प्रतिवादीगण के विरूद्ध है

प्रतिवादी का कथन है कि वादीगण ने अपनी बहस तनकी न. 5 के तर्क में जो कथन किये है वह हस्तगत प्रकरण में पारित निर्णय के सम्बध में किये है जिसके आधार पर रेस्जयूडिकेटा लागु होने का कथन नही किया गया है जबकि विवादित भूमि बाबत पूर्व में वादीगण के पिता रतिराम व प्रतिवादी के पिता ईशर के मध्य इसी न्यायालय में चले जिसमें सुनवाई उपरान्त दिनांक 08.07.1968 को ईशर को खातेदारी अधिकार दिये गये थे जिसकी अपीले भी वादीगण के पूर्वज व वादीगण के द्वारा की गई थी जो खारिज होने के कारण निर्णय दिनांक 08.07.1968 आज भी प्रभावी है इसलिये वादीगण अब पुनः उसी भूमि के सम्बध में कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही है।

हमने उभयपक्षो के तनकी न. 5 के सम्बध मे तर्क सुने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार वाद भूमि के सम्बध में वादीगण के पूर्वज रतिराम एव प्रतिवादी के पूर्वज ईशर के मध्य एक राजस्व वाद इसी न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था जो वाद सुनवाई दिनांक 08.07.1968 को निर्णय किया जाकर ईशर को खातेदार काश्तकार घोषित किया गया था जो आज भी प्रभाव है वादीगण ने उसी भूमि के सम्बध में पुनः वाद पेश किया गया है जिसके कारण रेस्जूडिकेटा आरिज होता है।

अतः तनकी न. 5 प्रतिवादी के पक्ष में एवं वादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

समस्त तनकीयात का विवेचन हो चुका है उक्त तनकीवार विवेचन अनुसार

वाद भूमि के सम्बध में वादीगण के पूर्वज रतिराम एवं प्रतिवादी के पूर्वज ईशर के मध्य रोही मौजा चक 9 जी.जी.एम. तहसील नोहर की 45 बिघा भूमि जिसमें कथन किया गया की वाद भूमि ईशर वल्द गोमद को माफी काटवाली में दी गई भूमि है जिसके खातेदारी अधिकार दिये जावे वाद में बाद सुनवाई माफी बेगार में ईशर कों प्राप्त होने के कारण दिनांक 8–7–1968 को निर्णय पारित किया जाकर ईशर को खातेदारी स्वीकृत की थी इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 8–7–1968 के खिलाफ रतिराम आदि ने राजस्व अपील प्राधिकारी की अदालत में अपील पेश की जो दिनांक 22–7–1969 को खारिज हो गई निर्णय दिनांक 22–7–1969 के खिलाफ रतिराम आदि ने राजस्व मण्डल अजमेर में अपील देश की जो दिनांक 6–10–1971 को आंशिक स्वीकार कर पत्रावली श्रीमान् अदालत को रिमाण्ड की गई रिमाण्ड होने पर न्यायालय हाजा के द्वारा बाद सुनवाई दिनांक 15–9–1980 को निर्णय पारित किया जाकर पूर्व निर्णय दिनांक 8–7–1968 को बहाल रखा इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 15–9–1980 से खिलाफ रतिराम आदि ने राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर में अपील पेश की जो दिनांक 30–4–1991 को खारिज हो गई निर्णय दिनांक 30–4–1991 के खिलाफ रतिराम आदि ने राजस्व मण्डल अजमेर में अपील पेश की जो दिनांक 12–3–1997 को खारिज हो गई रतिराम आदि ने राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 12–3–1997 के खिलाफ राजस्व भण्डल अजमेर में पुनरावलोकन याचिका पेश की जो बाद सुनवाई दिनांक 18–1–1999 को खारिज हो गई उसके खिलाफ रतिराम आदि ने कोई कार्यवाही नहीं की अर्थात इस न्यायालय का निर्णय दिनांक 25–9–1980 बहाल है उसी के आधार पर प्रतिवादी वाद भूमि के खातेदार काश्तकार है एव पाने के अधिकारी है।

विवादित भूमि के सम्बध में राजरव मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 18–1–1999 के खिलाफ रतिरान आदि ने कोई कार्यवाही नहीं की गई

वादीगण ने राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के उक्त निर्णय विरूद्व कोई कार्यवाही ना कर पुनः उसी भूमि उन्ही पक्षकारो के मध्य सन 1997 में वाद इस न्यायालय में पुनः पेश कर दिया गया जो विधि सम्मत नही है।

वाद भूमि के सम्बध में पूर्व में इस न्यायालय के द्वारा पारित किया गया निर्णय दिनांक 08.07.1968 आज तक प्रभावी है जब तक यह निर्णय प्रभावी रहेगा वादीगण वाद भूमि के सम्बध में किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही है वादीगण को वाद भूमि के सम्बध में किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करना था तो वह सक्षम न्यायालय में अपील पेश कर प्राप्त कर सकते थे पुनः वाद पेश करने के अधिकारी नही है।

वादीगण ने वाद भूमि के सम्बध में पूर्व में दिनांक 08.07.1968 में पक्षकार होने एव समस्त प्रकार के निर्णयो का ज्ञान होते हुए पुनः इसी न्यायालय में तथ्यो को छुपाकर वाद पेश करने से जाहिर है कि वादी क्लीन हैण्ड से न्यायालय में नही है आया है तथा प्रकरण में रेस्जूडिकेटा स्पष्ट तोर से आरिज होता है।

हस्तगत वाद में भी प्रार्थना पत्र दफा 11 सी.पी.सी. पेश किया जो बाद सुनवायी दिनांक 21–5–1999 को प्रार्थना पत्र दफा 11 सी.पी.सी. स्वीकार या गया एवं वाद वादीगण खारिज कर दिया गया श्रीमान अदालत के निर्णय दिनांक 21–5–1999 के खिलाफ रतिराम आदि ने राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ की अदालत में अपील पेश की जो दिनांक 22–6–2000 को खारिज हो गई निर्णय दिनांक 23–6–2000 के खिलाफ तिराम आदि ने राजस्व मण्डल अजमेर में अपील पेश की जो दिनांक 12.9–2000 को खारिज हो गई रतिराम आदि ने राजस्व मण्डल अजमेर के नर्णय दिनांक 12–9–2000 के खिलाफ रतिराम आदि ने राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में रिट याचिका पेश की जो बाद सुनवाई दिनांक 8–11–2000 को खारिज हो गई निर्णय दिनांक 8–11–2000 के खिलाफ रतिराम आदि ने डी.बी. सिविल स्पेशल अपील पेश की जो बाद सुनवाई दिनांक 8–12–2009 को श्रीमान अदालत को रिमाण्ड कर दी गई है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रकरण रिमाण्ड होने के उपरान्त पुन दर्ज कर सुनवाई आरम्भ करने पर बहम में पूर्व में इसी न्यायालय के द्वारा पारित किये गये निर्णय से अवगत करवाया गया है जिसके आधार पर प्रकरण पर रेस्जूडिकेटा आरिज होता है।

वाद भूमि के सम्बध में वादीगण के पूर्वज रतिराम एव प्रतिवादी के पूर्वज ईशर के मध्य विचाराधीन वाद में पारित किया गया निर्णय दिनांक 08.07.1968 विभिन्न न्यायालयो में अपील प्रस्तुत होने के उपरान्त भी आज भी बहाल है जिससे वादीगण पाबन्द है पूर्व निर्णय दिनांक 08.07.1968 के प्रभावी रहते हुए वादीगण किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही है तथा प्रतिवादी ईशर के वारिसान पूर्व निर्णय दिनांक 08.07. 1968 के आधार पर बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है

अतः वादीगण का वाद साक्ष्य सबुतों अभाव में एवं पूर्व निर्णय दिनांक 08.07.1968 के प्रभाव में रहने के कारण रेस्जूडिकेटा आराजी होने के कारण वाद वादी साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10/06/26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

Rahul

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. पतराम पुत्र रतीराम जाति मेधवाल (हरिजन) निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. मंगलाराम पुत्र रतीराम जाति मेधवाल (हरिजन) निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. हरिसिह उर्फ सीगाराम पुत्र रतीराम जाति मेधवाल (हरिजन) निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
4. सन्तो पुत्र रतीराम जाति मेधवाल (हरिजन) निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

वादीगण

बनाम

1. चन्द्रावती पत्नी ईश्वरचन्द जाति मेधवाल निवासी मलवानी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 279 सन 2011 निर्णय दिनांक– 10/06/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादीगण व अधिवक्ता प्रतिवादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण का वाद साक्ष्य सबुतों अभाव में एवं पूर्व निर्णय दिनांक 08.07.1968 के प्रभाव में रहने के कारण रेस्जूडिकेटा आराजी होने के कारण वाद वादी साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 10/06/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

Rahul

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)